

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(77)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 15/02/17

स्वीकृति संख्या:- 722/2016-17

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

Accepts.

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते
में राशि रुपये 600.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

16/2/17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ (यो) एसीटीएडी / माडा / 275(1)ईएमआरएस / 2011-12 स्वीकृति सं. 50 / 2016-17 दिनांक 09.02.2017 राशि रु. 600.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 600.00 लाख (अक्षरे रुपये छः करोड़) मात्र की राशि निम्नांकित बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)
[03] - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण एवं नवीनीकरण
17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना) राशि रुपये 600.00 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

sd-

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्यसचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

sd-

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)